

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2011

संख्या-6/सू0अ0अधि0-03/2010 का.- 4487 /झारखण्ड के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी0के0 सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(3) के अनुसार यह नियुक्ति श्री सिन्हा द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.

(फिदेर्लिस टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6/सू0अ0अधि0-03/2010 का.- 4487 /राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग (प्रशाखा-7) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-6/सू0अ0अधि0-03/2010 का.- 4487 /राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, ब्लॉक नं0-4 (पांचवा तल्ला), ओल्ड जे0एन0यू0 कैम्पस, न्यू दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार/झारखण्ड/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखण्ड, विधान सभा, राँची/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/निबन्धक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/सभी बोर्ड/निकाय/उपक्रम/सभी गैर सरकारी संस्थाएँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन/नेपाल हाउस, राँची/ श्री डी0के0 सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।